क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

सन्दर्भ सं0
Ref. No. G114811/O.A. NO-278/2019

दिनांक
Date 09/10/2020

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Subject:-Compliance of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi Principal Bench Order dated 12.12.2019 and 19.12.2019 in the matter of O.A. No. 278 & 279/2019 Chaudhary Yashwant Singh V/s Union of India & Ors.- Regarding.

Sir,

This has reference to above mentioned subject regarding compliance of Hon'ble National Green Tribunal; New Delhi Principal Bench Order dated 12.12.2019 and 19.12.2019 on the subject mentioned above. Relevant part of the order dated 12.12.2019 passed by Hon'ble NGT is as below -

"..... In view of above, without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders be treated as a notice so that the appellants can furnish their viewpoint to the State Board within two weeks from today and the State Board passes further order considering the stand of the appellants, in accordance with law, within one month thereafter. The appellants may also be allowed to inspect the record, if sought, before filing reply.

The appeals are disposed of accordingly in above terms."

Relevant part of the order dated 19.12.2019 passed by Hon'ble NGT is as below -

"... 5. Shri Mishra, learned counsel for the State PCB has made it clear that issue of environmental compensation will be finalized after giving due hearing to the concerned persons and after considering their viewpoint. Let further action be taken in accordance with law and further report be filed by the State PCB before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

6. I.A. Nos. 737/2019, 738/2019, 739/2019, 740/2019, 769/2019, 770/2019 and 771/2019 have been filed by persons who are being proceeded against by way of recovery of compensation. Since the State Board has to finalize the issue and order of the State Board is appealable, it is not necessary to consider the matter by this Tribunal at this stage. The applications are disposed of without prejudice to the matter being considered by the State Board in the first instance.

In compliance of above order passed by Hon'ble NGT in appeal application of M/s Maihar Stone, M/s Jai Maa Bhandari Stone, M/s Jyoti Stone, M/s Vaishno Stone Associates and M/s Akhilesh Paul's Khebandha River bed mining project have been considered and decided by Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 06.07.2020 (Annexure-1) after giving proper opportunity.

The revised environmental compensation letters are submitted for your kind consideration please.

Encls. As Above

09.10.2020
(Radhey Shyam)
Regional Officer

कार्यालय– मा0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
रावर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

(2)

सन्दर्भ सं0
Ref. No. G/1145/09/O.A. No-279/2020

दिनांक
Date 06/07/2020

सेवा में,

मेसर्स मैहर स्टोन,
सुकृत, तहसील–राबर्ट्सगंज,
जनपद–सोनभद्र।

पंजीकृत

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 278/2019 एवं 279/2019 में पारित आदेश दिनांक–05.08.2019 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 278/2019 एवं 279/2019 के आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन, सोनभद्र की गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक–03.09.2019 के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक–15.11.2019 द्वारा उद्योग पर विगत 05 वर्षों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत रू0 93.75 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में 04 स्टोन क्रशर इकाईयों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील संख्या 109, 110, 111 एवं 112/2019 दायर की गयी। उक्त अपील में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 12.12.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

" In view of the above without expressing any opinion on merits. We direct that the impugned orders be treated as a notice so that appellants can furnish their viewpoint to the State Pollution Control Board within 2 weeks from today and the State Board passes further order considering the stand of the appellants in accordance with law within one month thereafter. The appellants may also be allowed to inspect the record if sought before filing reply "

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक–19.06.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि मेसर्स मैहर स्टोन, सुकृत, सोनभद्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 05.12.2019 एवं शपथ–पत्र दिनांक–06.02.2020 तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया। प्राप्त आख्यानुसार उद्योग पर दिनांक–15.01.2017 से दिनांक–16.04.2017 तक के 71 डिफाल्टर दिनों (25 कार्य दिवस प्रतिमाह तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) की अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी मार्ग–दर्शिका के आधार पर कुल रू0 4,43,750/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.2019 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक–19.06.2019 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मेसर्स मैहर स्टोन, सुकृत, सोनभद्र पर पूर्व में बोर्ड के पत्रांक–एच 43740/सी–2/एन0जी0टी0 सेल–33–क्षतिपूर्ति/2019, दिनांक–15.11.2019 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित करते हुए ₹ 4,43,750/– (रू0. चार लाख तैतालिस हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है। उपरोक्तानुसार उद्योग के प्रत्यावेदन दिनांक–05.12.2019 एवं शपथ–पत्र दिनांक 06.02.2020 का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः 2/–पर....

F:\Environmental Compensation

Scanned with CamScanner

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104, आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

06/7/2020

क्षेत्रीय अधिकारी O/C

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी O/C

F:\\Environmental Compensation

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

सन्दर्भ सं0
Ref. No. G/114527/O.A.-No.-278/2020

दिनांक
Date 02/07/2020

सेवा में,

मेसर्स जय माँ भण्डारी स्टोन वर्क्स,
सुकृत, तहसील–राबर्ट्सगंज,
जनपद–सोनभद्र।

पंजीकृत

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 278/2019 एवं 279/2019 में पारित आदेश दिनांक–05.08.2019 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 278/2019 एवं 279/2019 के आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन, सोनभद्र की गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक–03.09.2019 के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक–15.11.2019 द्वारा उद्योग पर विगत 05 वर्षों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत रू0 93.75 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में 04 स्टोन क्रशर इकाईयों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील संख्या 109, 110, 111 एवं 112/2019 दायर की गयी। उक्त अपील में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 12.12.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

" In view of the above without expressing any opinion on merits. We direct that the impugned orders be treated as a notice so that appellants can furnish their viewpoint to the State Pollution Control Board within 2 weeks from today and the State Board passes further order considering the stand of the appellants in accordance with law within one month thereafter. The appellants may also be allowed to inspect the record if sought before filing reply "

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक–19.06.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि मेसर्स जय माँ भण्डारी स्टोन वर्क्स, सुकृत, सोनभद्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 23.12.2019 एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया। प्राप्त आख्यानुसार उद्योग पर दिनांक–21.09.2016 से दिनांक–16.04.2017 तक के कुल 160 डिफाल्टर दिनों (25 कार्य दिवस प्रतिमाह तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) की अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी मार्ग–दर्शिका के आधार पर कुल रू0 10,00,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.2019 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक–19.06.2019 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मेसर्स जय माँ भण्डारी स्टोन वर्क्स, सुकृत, सोनभद्र पर पूर्व में बोर्ड के पत्रांक–एच 43739/सी–2/एन0जी0टी0 सेल–33–क्षतिपूर्ति/2019, दिनांक–15.11.2019 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित करते हुए ₹ 10,00,000/– (रू0. दस लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है। उपरोक्तानुसार उद्योग के प्रत्यावेदन दिनांक 23.12.2019 का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः 2/–पर....

कार्यालय– म0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

Scanned with CamScanner

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104, आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

06/7/2020

क्षेत्रीय अधिकारी O/C

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी O/C

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

(2)

सन्दर्भ सं0
Ref. No. G1145.08/O.A. No-279/2020

दिनांक
Date 06/07/2020

सेवा में,

मेसर्स ज्योति स्टोन,
सुकृत, तहसील–राबर्ट्सगंज,
जनपद–सोनभद्र।

पंजीकृत

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 278/2019 एवं 279/2019 में पारित आदेश दिनांक–05.08.2019 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 278/2019 एवं 279/2019 के आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन, सोनभद्र की गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक–03.09.2019 के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक–15.11.2019 द्वारा उद्योग पर विगत 05 वर्षों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत रू0 93.75 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में 04 स्टोन क्रशर इकाईयों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील संख्या 109, 110, 111 एवं 112/2019 दायर की गयी। उक्त अपील में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 12.12.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

" In view of the above without expressing any opinion on merits. We direct that the impugned orders be treated as a notice so that appellants can furnish their viewpoint to the State Pollution Control Board within 2 weeks from today and the State Board passes further order considering the stand of the appellants in accordance with law within one month thereafter. The appellants may also be allowed to inspect the record if sought before filing reply "

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक–19.06.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि मेसर्स ज्योति स्टोन, सुकृत, सोनभद्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 23.12.2019 एवं शपथ–पत्र दिनांक 17.02.2020 तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया। प्राप्त आख्यानुसार उद्योग पर दिनांक– 01.10.2016 से दिनांक–16.04.2017 तक के कुल 151 डिफाल्टर दिनों (25 कार्य दिवस प्रतिमाह तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) की अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी मार्ग–दर्शिका के आधार पर कुल रू0 9,43,750/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.2019 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक–19.06.2019 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मेसर्स ज्योति स्टोन, सुकृत, सोनभद्र पर पूर्व में बोर्ड के पत्रांक–एच 43738/सी–2/एन0जी0टी0 सेल–33–क्षतिपूर्ति/2019, दिनांक–15.11.2019 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित करते हुए ₹ 9,43,750/– (रू0. नौ लाख तैतालिस हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है। उपरोक्तानुसार उद्योग के प्रत्यावेदन दिनांक 23.12.2019 एवं शपथ–पत्र दिनांक 17.02.2020 का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः 2/–पर....

कार्यालय– म0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

Scanned with CamScanner

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104, आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

08/11/2020

क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
O/C

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

सन्दर्भ सं0
Ref. No. G/14570/O.A No. 279/2020

दिनांक
Date 06/07/2020

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स वैष्णों स्टोन प्रोडक्ट,
सुकृत, तहसील–राबर्ट्सगंज,
जनपद–सोनभद्र।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 278/2019 एवं 279/2019 में पारित आदेश दिनांक–05.08.2019 के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 278/2019 एवं 279/2019 के आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन, सोनभद्र की गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक–03.09.2019 के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक–15.11.2019 द्वारा उद्योग पर विगत 05 वर्षों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत रू0 93.75 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी।

राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में 04 स्टोन क्रशर इकाईयों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील संख्या 109, 110, 111 एवं 112/2019 दायर की गयी। उक्त अपील में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिनांक 12.12.2019 को आदेश पारित किया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :–

" In view of the above without expressing any opinion on merits. We direct that the impugned orders be treated as a notice so that appellants can furnish their viewpoint to the State Pollution Control Board within 2 weeks from today and the State Board passes further order considering the stand of the appellants in accordance with law within one month thereafter. The appellants may also be allowed to inspect the record if sought before filing reply "

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक–19.06.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि मेसर्स वैष्णों स्टोन प्रोडक्ट, सुकृत, सोनभद्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 29.11.2019 एवं दिनांक–21.12.2019 तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया। प्राप्त आख्यानुसार उद्योग पर दिनांक– 01.05.2018 से दिनांक–30.06.2018 तक के 50 डिफाल्टर दिनों (25 कार्य दिवस प्रतिमाह तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) की अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी मार्ग–दर्शिका के आधार पर कुल रू0 3,12,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.12.2019 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक–19.06.2019 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मेसर्स **वैष्णों स्टोन प्रोडक्ट, सुकृत, सोनभद्र** पर पूर्व में बोर्ड के पत्रांक–एच 43737/सी–2/एन0जी0टी0 सेल–33–क्षतिपूर्ति/2019, दिनांक–15.11.2019 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित करते हुए ₹ 3,12,500/– (रू0. तीन लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है। उपरोक्तानुसार उद्योग के प्रत्यावेदन दिनांक 29.11.2019 एवं 21.12.2019 का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः 2/–पर....

F:\Environmental Compensation

कार्यालय– म0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

Scanned with CamScanner

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104, आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

06/7/2020

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

सन्दर्भ सं0
Ref. No. G.114506/O.A. No. 278/2020

दिनांक
Date 06/07/2020

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स श्री अखिलेश पाल पुत्र श्री यशपाल
द्वारा मेसर्स खेबंधा रिवर बेड माईन,
फ्लैट नं0–704, ई0आर0एस0 आफिसर्स हाउसिंग सोसाईटी,
41ए, लखनऊ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–278/2019 एवं 279/2019 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–278/2019 एवं 279/2019 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 का संदर्भ लें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत हैः–

" .....In view of the above, we are satisfied that recommended action is required to be taken forthwith by cancelling EC issued by the SEIAA for mining to the above violators and stopping the illegal activities.

It is also necessary that the damage to the environment is restored by preparing an appropriate action plan. On 'Polluter Pays' principle, compensation needs to be assessed and recovered which needs to be planned.

Let further remedial measures be planned for restoration of environment as well as for recovery of compensation by a joint Committee comprising the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Sonebhadra.

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में CPCB, UPPCB & DM, Sonebhadra की संयुक्त समिति द्वारा इकाई/माईनिंग स्थल का निरीक्षण किया गया। संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 03.09.2019 के अनुसार मैसर्स खेबंधा रिवर बेड माईन एवं मैसर्स राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी उ0प्र0) पर रूपये 4.365 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 15.11.19 द्वारा अधिरोपित की गयी थी।

उक्त के अनुकम में **खेबन्धा स्थित सैण्ड माइनिंग परियोजना के संचालक श्री अखिलेश पाल ने अपने विभिन्न प्रत्यावेदनों में परियोजना पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को रिव्यू करने का अनुरोध किया गया है।** श्री अखिलेश पाल ने अपने पत्र दिनांक 17.06.2020 के माध्यम से अवगत कराया है कि ग्राम–खेबन्धा, परगना–अगोरी, तहसील–रावर्ट्सगंज, जनपद–सोनभद्र में आराजी संख्या 246 के लाट संख्या–1, खण्ड–अ, (रकबा 2.1461 हेक्टेयर) पर उनके द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ किए जाने से पूर्व वर्ष 2017 में तीन अन्य खनन अनुज्ञा धारकों **(सर्व श्री सुधाकर पाण्डेय एवं दो लॉट मेसर्स कात्यायनी कान्ट्रैक्टर)** द्वारा बालू/मोरम के खनन का कार्य किया गया था। इन तीन खनन अनुज्ञा धारकों द्वारा भी खेबंधा मार्ग को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे मार्ग के मरम्मत हेतु अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पांच भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। उक्त प्रत्यावेदन के सम्बंध में खान अधिकारी, जनपद सोनभद्र से अन्य तीन खनन परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र दिनॉक 18.06.2020 प्रेषित किया गया था। खान अधिकारी, सोनभद्र ने अपने पत्र दिनांक–22.06.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम–खेबन्धा के आराजी संख्या 246 में 10–10 एकड़ के तीन खण्ड पर वर्ष 2017 में श्री सुधाकर पाण्डेय एवं दो लॉट मेसर्स कात्यायनी कान्ट्रैक्टर को मिलाकर कुल तीन खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये थे ।

श्री अखिलेश पाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदनों, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन रिपोर्ट व अन्य अभिलेखों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक जी 114469/ओ0ए0–279/2020 दिनांक 30.06.2020 द्वारा ग्राम–खेबन्धा स्थित कुल 5 खनन परियोजनाओं के संचालन से हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का पुनः मुल्यांकन कर पूर्व में मैसर्स खेबंधा रिवर बेड माईन एवं मैसर्स राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रत्येक पर अधिरोपित रू0 4.365 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को पुनरीक्षित करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को 05 भागों में विभाजित

क्रमशः पृष्ठ 2 पर..

कार्यालय– मा0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

Scanned with CamScanner

कर प्रश्नगत 05 खनन परियोजना के पट्टाधारकों पर अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स **श्री अखिलेश पाल पुत्र श्री यशपाल द्वारा मेसर्स खेबंधा रिवर बेड माईन, फ्लैट नं0–704, ई0आर0एस0 आफिसर्स हाउसिंग सोसाईटी, 41ए, लखनऊ** पर कुल **रूपये 67.828/– लाख (रू0 सरसठ लाख बयासी हजार आठ सौ मात्र)** पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कृपया नोट करें कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

क्षेत्रीय अधिकारी 01C

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

06/11/2020

क्षेत्रीय अधिकारी

01C

Scanned with CamScanner